न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल

वाद पुकारा गया। मामला आदेश हेतु निर्धारित है। मामले में समस्त अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुचती है कि अभिलेख पर मामले में अग्रिम कारवाई हेतु प्रमाणिक तथ्य नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में जमा कराए।

Sd/-
लेखापित
मु0 न्या0 द0,
व्यवहार न्यायालय,अरवल।

व्यवहार न्यायालय, अरवल